छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

तृतीय विधान सभा | त्रयोदश सत्र | अंक-03

रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 जुलाई, 2013

(आषाढ़ -26, शक संवत 1935)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही श्री अजीत जोगी, सदस्य द्वारा झीरम घाटी घटना के साथ-साथ कार्यवाही के अंश विलोपित किए जाने के संबंध में उल्लेख किया गया। माननीय अध्यक्ष ने प्रश्नकाल को चलाने में सहयोग देने का आग्रह किया एवं डॉ.शक्राजीत नायक, सदस्य का नाम प्रश्न किए जाने हेतु पुकारा।

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए एवं पर्चे लहराए गए।)

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य श्री अग्नि चंद्राकर का नाम पुकारा गया माननीय सदस्य ने उपस्थित रह कर भी प्रश्न नहीं किया।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पुनः प्रथम दिन की कार्यवाही से विलोपन किए जाने का उल्लेख किये जाने पर माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि विधान सभा को चलाने के लिए नियम, प्रक्रियायें और परंपरायें हैं। माननीय सदस्य कितने भी उद्वेलित या उत्तेजित हों लेकिन जो मर्यादा है, जो संसदीय परम्परा है उसको बनाये रखने की जवाबदारी हम सबकी है। नियम, प्रक्रिया में जो शब्द असंसदीय आयेगा उसको विलोपित किया जायेगा और इस बात पर कभी कोई चर्चा नहीं होती।

निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 11.08 बजे स्थगित की जाकर 11.20 बजे पुनः प्रारंभ हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य द्वारा पत्रकारों को प्रवेश न देने संबंधी घटना का उल्लेख किया। श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने जानकारी दी कि पत्रकारों को प्रवेश पत्र न दिखाये जाने के कारण रोका गया था, अभी वे उपस्थित हैं। माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि सुरक्षा निर्देशों के तहत पहचान-पत्र की मांग की गई। पत्रकारगण पत्रकार दीर्घा में उपस्थित हैं। सभा के बाहर की घटना यहां का विषय नहीं है।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा निरंतर नारेबाजी की गई।

प्रश्न संख्या 01 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य डॉ.शक्राजीत नायक, अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 25 तारांकित एवं 29 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

निरंतर नारेबाजी एवं व्यवधान के कारण सदन की कार्यवाही 11.29 बजे स्थगित की जाकर 12.02 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

कार्यवाही प्रारंभ होते ही श्री अजीत जोगी, सदस्य ने दिनांक 15.07.2013 को विलोपित किये गए अंशों को फिर से जारी करने हेतु पुनर्विचार का अनुरोध किया। श्री बृजमोहन अग्रवाल ने कथन किया कि नियमों में यह उल्लेख है कि आक्षेपजनक शब्दावली को कार्यवाही से विलोपित किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि कार्यवाही के विलोपन के संबंध में नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। जो विलोपन योग्य बातें आई हैं, केवल उन्हें ही विलोपित किया गया है। सभा में बात रखने की स्वतंत्रता नियमों के अंतर्गत प्राप्त है। इस संबंध में कुछ बात रखना चाहते हैं तो कक्ष में आकर चर्चा कर सकते हैं।

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए तथा पर्चे लहराये गये ।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने -

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से प्राप्त 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक (गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्रों पर प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ शासन, वर्ष 2013 का प्रतिवेदन क्रमांक-3,

(ii) छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2012-2013 के बजट की अंतिम तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

(iii) वित्तीय वर्ष 2012-2013 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न विभागों का निष्पादन बजट (परफार्मेन्स बजट),

(iv) भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-झ के खण्ड (4) तथा अनुच्छेद 243-म के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के द्वितीय राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013 से 2016-2017 एवं उस पर कृत कार्यवाही प्रतिवेदन,

(v) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 20 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3, दिनांक 29 नवम्बर, 2012,

(vi) विद्युत अधिनियम 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 46/सी.एस.ई.आर.सी./2013, दिनांक 15 फरवरी, 2013 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम, 2013

(2) श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 1-20/2010/32, दिनांक 17 अप्रैल, 2013,

(3) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री ने कम्पनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट ब्रेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन,

(4) श्री हेमचन्द यादव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (क्रमांक 42 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) के पद (एफ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012,

(प्रतिपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आए तथा निरंतर नारेबाजी करते रहे।)

(5) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने-

(i) कंपनी अधिनियम 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11,

(ii) वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2011-12,

(6) श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने कंपनी अधिनियम 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2007-08,

(7) श्री रामविचार नेताम, तकनीकी शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 34 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2010-11, **पटल पर रखा।**

3. ध्यानाकर्षण सूचना

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि-सदस्यों की ओर से अभी तक प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचनाओं में दर्शाये गये विषयों की अविलंबनीयता तथा महत्व से साथ सदस्यों के विशेष आग्रह को देखते हुए सदन की अनुमति की प्रत्याशा में नियम 138 (3) को शिथिल करके आज उन्होंने आज की कार्यसूची में सात ध्यानाकर्षण सूचनाएं शामिल किये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है। इनमें से प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी

जावेगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी। संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

सदन द्वारा सहमति दी गई।

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य (सूचना प्रस्तुत नहीं की गई)

(2) श्री लेखराम साहू, सदस्य (सूचना प्रस्तुत नहीं की गई)

माननीय अध्यक्ष की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने गए:-

उप पद क्रमांक	**सदस्य**
(3)	श्री देवजी पटेल
(4)	श्री देवजी पटेल
(5)	श्री देवजी पटेल

4. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार नियम 267-क (2) को शिथिल कर निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री खेदूराम साहू

(2) डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी

(3) श्री देवजी पटेल

(4) श्री फूलचंद सिंह

5. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री रविन्द्र चौबे(नेता प्रतिपक्ष), रामपुकार सिंह, (डॉ.) प्रेमसाय सिंह टेकाम, रामदेव राम, अमरजीत भगत, हृदयराम राठिया, (डॉ.) शक्राजीत नायक, श्रीमती पद्मा घनश्याम मनहर, सर्वश्री भजन सिंह निरंकारी, बोधराम कंवर, रामदयाल उइके, अजीत जोगी, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, श्री धर्मजीत सिंह, श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर, डॉ. हरिदास भारद्वाज, सर्वश्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, परेश बागबाहरा, अग्नि चंद्राकर, (डॉ.) शिवकुमार डहरिया, राजकमल सिंघानिया, चैतराम साहू, कुलदीप सिंह जुनेजा, गुरू रुद्र कुमार, अमितेश शुक्ल, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री लेखराम साहू, गुरुमुख सिंह होरा, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री बदरूद्दीन कुरैशी, ताम्रध्वज साहू, मोहम्मद अकबर, भोलाराम साहू, शिवराज सिंह उसारे, लखमा कवासी, सौरभ सिंह।

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि शासन की ओर से प्राप्त निम्नानुसार विधेयकों को वर्तमान सत्र की अल्प शेष अवधि के परिप्रेक्ष्य में तथा विधेयकों की महत्ता एवं उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी आदेश क्रमांक 23 (2) एवं 24 तथा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) को, सदन की अनुमति की प्रत्याशा में, शिथिल कर आज ही पुर:स्थापन की अनुमति प्रदान की है-

1. छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 26 सन् 2013)
2. छत्तीसगढ़ भूमि-धारण (विधिमान्यकरण) विधेयक, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)
3. छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 31 सन् 2013)
4. छत्तीसगढ़ एसिड का विनियमन, प्रतिबंध, विक्रय एवं उपयोग विधेयक, 2013 (क्रमांक 32 सन् 2013)

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

(प्रतिपक्ष के सदस्य गर्भगृह में निरंतर नारेबाजी करते रहे।)

(1) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 22 सन् 2013)

श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 22 सन् 2013) पुर:स्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 23 सन् 2013)

श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 23 सन् 2013) पुरःस्थापित किया ।

(3) छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 26 सन् 2013)

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 26 सन् 2013) पुरःस्थापित किया ।

(4) छत्तीसगढ़ भूमि-धारण (विधिमान्यकरण) विधेयक, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ भूमि-धारण (विधिमान्यकरण) विधेयक, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) पुरःस्थापित किया ।

(5) छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 31 सन् 2013)

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 31 सन् 2013) पुरःस्थापित किया।

(6) छत्तीसगढ़ एसिड का विनियमन, प्रतिबंध, विक्रय एवं उपयोग विधेयक, 2013 (क्रमांक 32 सन् 2013)

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ एसिड का विनियमन, प्रतिबंध, विक्रय एवं उपयोग विधेयक, 2013 (क्रमांक 32 सन् 2013) पुरःस्थापित किया।

(7) छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 27 सन् 2013)

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 27 सन् 2013) पुरःस्थापित किया।

(8) छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 29 सन् 2013)

श्री कोमल जंघेल, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 29 सन् 2013) पुरःस्थापित किया।

7. वर्ष 2013-2014 के प्रथम अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 55, 56, 58, 60, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 75, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर **इक्कीस सौ पांच करोड़, दस लाख, अट्ठारह हजार, पांच सौ रूपये** की अनुपूरक राशि दी जाये।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2013 (क्रमांक-28 सन् 2013)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2013 (क्रमांक-28 सन् 2013) का पुर:स्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2013 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2013 (क्रमांक-28 सन् 2013) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 27 सन् 2013)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 27 सन् 2013) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 27 सन् 2013) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(2) छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 29 सन् 2013)

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 29 सन् 2013) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 6 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 29 सन् 2013) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(3) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 22 सन् 2013)

श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 22 सन् 2013) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 30 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 22 सन् 2013) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(4) छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 23 सन् 2013)

श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 23 सन् 2013) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री दयालदास बघेल, राजस्व मंत्री ने छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 23 सन् 2013) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(5) छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 26 सन् 2013)

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 26 सन् 2013) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री अमर अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री ने छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 26 सन् 2013) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(6) छत्तीसगढ़ भूमि-धारण (विधिमान्यकरण) विधेयक, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ भूमि-धारण (विधिमान्यकरण) विधेयक, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 व 3 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ भूमि-धारण (विधिमान्यकरण) विधेयक, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(7) छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 31 सन् 2013)

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 31 सन् 2013) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 15 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी नियोजन अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 31 सन् 2013) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(8) छत्तीसगढ़ एसिड का विनियमन, प्रतिबंध, विक्रय एवं उपयोग विधेयक, 2013 (क्रमांक 32 सन् 2013)

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ एसिड का विनियमन, प्रतिबंध, विक्रय एवं उपयोग विधेयक, 2013 (क्रमांक 32 सन् 2013) पर विचार किया जाय।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2 से 25 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ एसिड का विनियमन, प्रतिबंध, विक्रय एवं उपयोग विधेयक, 2013 (क्रमांक 32 सन् 2013) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

10. माननीय राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक पर पुनर्विचार का प्रस्ताव

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि सभा द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2013 को पारित दण्ड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013 को माननीय राज्यपाल द्वारा संदेश के साथ लौटाए गए रूप में विचार करने हेतु सत्र की अल्पावधि एवं विधेयक की महत्ता एवं उपादेयता को दुष्टिगत रखते हुए उन्होंने विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 93 को शिथिल कर आज की कार्यसूची में सम्मिलित करने की अनुमति दी है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि - खंड-7 में इस प्रकार संशोधन किया जाये - दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के संबंध में विद्यमान प्रावधानों के स्थान पर -

"दण्ड प्रक्रिया संहिता (जो इसमें इसके पश्चात् संहिता के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 154 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में शब्द एवं अंक "या धारा 509" के स्थान पर शब्द, अंक, अक्षर तथा विरामचिन्ह "धारा 509, धारा 509 क या धारा 509 ख" प्रतिस्थापित किया जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

यथा संशोधित खंड 7 विधेयक का अंग बना।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने प्रस्ताव करता हूं कि खंड-8 में इस प्रकार संशोधन किया जाए- खंड-8 में शब्द, अंक और अल्पविराम " धारा 375," को विलोपित किया जाए ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

यथा संशोधित खंड 8 विधेयक का अंग बना।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने प्रस्ताव करता हूं कि खंड-9 में इस प्रकार संशोधन किया जाए- संहिता की धारा 164 की उप-धारा (5 क) से संबंधित विद्यमान प्रावधान के स्थान पर -

"संहिता की धारा 164 की उप-धारा (5 क) के खंड (क) में, अंकों एवं शब्दों "या धारा 509" के स्थान पर विराम चिन्ह, शब्दों एवं अंकों "धारा 376 (च), धारा 509, धारा 509क या धारा 509ख" प्रतिस्थापित किया जाए ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

यथा संशोधित खंड 9 विधेयक का अंग बना।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने प्रस्ताव करता हूं कि खंड-11 में इस प्रकार संशोधन किया जाए- खंड-11 में शब्दों और अंकों, " धारा 376 से 376घ" के स्थान पर शब्दों, अंकों एवं अक्षरों " धारा 376, धारा 376क, धारा 376ख, धारा 376ग या धारा 376घ" प्रतिस्थापित किया जाए ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

यथा संशोधित खंड 9 विधेयक का अंग बना।

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने प्रस्ताव किया कि दण्ड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) को माननीय राज्यपाल के संदेश के अनुरूप यथासंशोधित स्वरूप में पारित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय राज्यपाल के संदेश के अनुरूप यथासंशोधित स्वरूप में विधेयक पारित हुआ।

11. वक्तव्य

झीरम घाटी की घटना के संबंध में

श्री ननकीराम कंवर, गृह मंत्री ने झीरम घाटी की घटना के संबंध में वक्तव्य दिया।

12. विशेषाधिकार भंग की सूचना के संबंध में अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - दिनांक 24 मार्च, 2012 को मेरे द्वारा दैनिक समाचार पत्र **पत्रिका** रायपुर के विरूद्ध सभा की अवमानना संबंधी प्रकरण तथा दिनांक 3 अप्रैल, 2012 को माननीय सदस्य डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी द्वारा डॉ. अनिल खाखरिया, निवासी पुराना बस स्टैंड, रायपुर के विरूद्ध विशेषाधिकार हनन संबंधी प्रकरण को विशेषाधिकार समिति को संदर्भित किया गया था।

विचाराधीन दोनों प्रकरण समिति को संदर्भित हुए 01 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है एवं इस संबंध में समिति के सभापति द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि जब-जब भी समिति की बैठकें आयोजित की गई गणपूर्ति के अभाव में बैठकें स्थगित हुईं। फलतः दोनों प्रकरणों पर समिति विचार नहीं कर सकी एवं सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किये जा सके हैं व समय-समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव भी सभा में लाया गया है।

चूंकि गणपूर्ति के अभाव में समिति की बैठकें स्थगित होने से विगत एक वर्ष में इन प्रकरणों पर विचार नहीं हो सका है, तृतीय विधानसभा के कार्यकाल की शेष सीमित अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरणों पर विचार कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना संभव भी प्रतीत नहीं होता है।

संसदीय शासन प्रणाली में विधान मंडल एवं विधान मंडलों के सदस्य जन-आकांक्षाओं के अनुरूप बिना किसी प्रभाव अथवा व्यवधान के सभा की कार्यवाही में हिस्सा ले सकें, उसमें किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो और वे अपने संसदीय कर्तव्यों के निर्वहन में तनिक भी प्रभावित न हो, इसके साथ ही इस सर्वोच्च प्रजातांत्रिक संस्था का मान-सम्मान अक्षुण्ण बना रहे, सभा की कार्यवाही जैसे कि संपादित हुई है, वैसी जन-जन तक पहुंचे, संसदीय प्रणाली का मूल तत्व है।

जैसे-जैसे हमारा प्रजातंत्र परिपक्व हो रहा है, सर्व संबंधित पक्षों से अधिक परिपक्व व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। आपसी सामंजस्य एवं परिपक्व व्यवहार से ही हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रख सकते हैं। मैं समझता हूं संबंधित पक्ष भविष्य में इसका ध्यान रखें।

मैं इन दोनों ही मामलों को समाप्त करता हूं। मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

13. उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - विधानसभा द्वारा प्रतिवर्ष माननीय सदस्यों, पत्रकार एवं मीडिया के प्रतिनिधि को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस हेतु गठित चयन समिति द्वारा निम्नानुसार पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है :-

उत्कृष्ट विधायक :

1. सत्ता पक्ष से	श्री देवजी पटेल
2. प्रतिपक्ष से	श्री ह्दयराम राठिया

तृतीय विधान सभा के जागरूक विधायक :

श्री नंदकुमार पटेल (मरणोपरान्त)

उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार :

1. सांध्य, दैनिक छत्तीसगढ़ रायपुर	श्री चंद्रभूषण मिश्रा, संवाददाता

उत्कृष्ट इलेक्ट्रानिक मीडिया :

1. ई. टी.वी., रायपुर	श्री मनोज सिंह बघेल, संवाददाता
	श्री मनीष गीते (कैमरामेन)

पुरस्कार वितरण समारोह की घोषणा पश्चात् की जावेगी। माननीय अध्यक्ष ने अपनी ओर से एवं सदन की ओर से चयनितों को बधाई दी ।

14. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्‌बोधन

तृतीय विधान सभा के तेरहवें सत्र का आज अंतिम कार्य दिवस है, जो कि इस विधान सभा के लिए अंतिम सत्र भी है । यह मानसून सत्र 15 जुलाई से 19 जुलाई, 2013 तक आहूत था परन्तु परिस्थितिजन्य कारणों से निर्धारित तिथि पूर्व यह सत्र सम्पन्न हो रहा है ।

प्रथम सत्र से तेरहवें सत्र तक की अनेक स्मृतियाँ लेकर आज हम विदा हो रहे हैं क्योंकि आगामी सत्र अब इस विधान सभा के विघटन और चतुर्थ विधान सभा गठन के पश्चात् होगा । आज जबकि इस सत्र के समापन अवसर पर सम्बोधन के लिये खड़ा हूं तो मेरा मन भावुक एवं दु:खी है। इस तृतीय विधान सभा की अवधि में ईश्वर की नियती के समक्ष नतमस्तक होते हुए हमने इस सभा के सदस्य सर्वश्री रविशंकर त्रिपाठी, मदन साहू एवं नंदकुमार पटेल को असमय ही अपने बीच में से पंचतत्व में विलीन होते हुए देखा ।

ईश्वर की इस नियती के समक्ष हम सब लाचार एवं मजबूर हैं, लेकिन मैं अपने आपको यह कहने से रोक नहीं पा रहा हूं जिस स्थिति एवं जिन परिस्थितियों में इस समय के सदस्य श्री नंदकुमार पटेल, उनके बेटे श्री दिनेश पटेल के साथ इस सभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री महेन्द्र कर्मा एवं पूर्व सदस्य श्री उदय मुदलियार तथा छत्तीसगढ़ के वरिष्ठतम् वयोवृद्ध पूर्व सांसद श्री विद्याचरण शुक्ल असमय नक्सलियों द्वारा की गई कार्यवाही में शहीद हुए, इस घटना को हम

जीवन पर्यन्त विस्मृत नहीं कर सकेंगे । नक्सलियों द्वारा यह हमला किसी जन-प्रतिनिधि अथवा किसी दल विशेष के सदस्य के ऊपर नहीं था अपितु यह इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के ऊपर था, जिसका नक्सली हमेशा विरोध करते हैं और आज आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था को किस प्रकार मजबूत किया जाये? इस व्यवस्था में जन-जन का विश्वास स्थापित एवं सुदृढ़ हो, इस हेतु आवश्यक कदम शीघ्रताशीघ्र उठाये जाएं।

इस सभा के सदस्यों ने विगत लगभग 5 वर्षों के 12 सत्रों में उच्च संसदीय मापदण्डों एवं परम्पराओं का अनुसरण किया है । इस तेरहवें सत्र में भावनाओं ने सम्पूर्ण कार्यवाही को प्रभावित किया, जो मेरे मत में स्वाभाविक भी था ।

नक्सलवाद की समस्या एक ऐसी समस्या है, जो केवल इस प्रदेश तक ही सीमित नहीं है अपितु हमारे पड़ोसी राज्य झारखण्ड, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र में भी नक्सली इसी प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं । इस समस्या पर अब राष्ट्रीय स्तर पर भी विचार-मंथन आरंभ हुआ है और हम विश्वास कर सकते हैं कि केन्द्र एवं राज्यों की सरकारें मिलकर इस समस्या का निदान करने में सफल होंगी ।

तृतीय विधान सभा का कार्यकाल अपनी पूर्णता की ओर है और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो इसमें कुछ अत्यंत सुखद और दुखद स्मृतियां मस्तिष्क पटल पर सहज रूप से उभर आती है। जहां एक ओर हमने तृतीय विधान सभा के कार्यकाल में दिनांक 25 से 29 अक्टूबर, 2010 के मध्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का संसदीय सम्मेलन चतुर्थ इंडिया एशिया राष्ट्रकुल संसदीय संघ सम्मेलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया । वहीं 24 जून, 2011 को भारत के माननीय राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल जी का छत्तीसगढ़ विधान सभा आगमन और आप माननीय सदस्यों को सम्बोधन हुआ । इस विधान सभा के कार्यकाल में ही छत्तीसगढ़ की विधान सभा ऐसी प्रथम विधान सभा होने का गौरव हासिल किया जहां खाद्य सुरक्षा अधिनियम अधिनियमित हुआ । इसके अलावा अनेक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य तृतीय विधान सभा के कार्यकाल में सम्पन्न हुए जो छत्तीसगढ़ के संसदीय इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्णाक्षर में अंकित हुये। भविष्य में इन्हीं उपलब्धियों के लिये तृतीय विधान सभा को स्मरण किया जाएगा ।

इस अवसर पर मैं आप माननीय सदस्यों से विशेषकर प्रतिपक्ष के सदस्यों से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि शीघ्र ही हम आपस में चर्चा कर एक तिथि का निर्धारण कर लें जिसमें हम अपनी तृतीय विधान सभा को विदाई समारोह, समूह छायाचित्र के कार्यक्रम को सादे समारोह के रूप में आयोजित करने पर विचार कर सकते हैं । मैं आप सभी की भावनाओं से अवगत और सहमत हूं कि सदन के माननीय सदस्य के आकस्मिक निधन से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उससे हम सभी आहत हैं परन्तु स्थापित परम्पराओं के अनुसार आप सभी जानते हैं कि किसी भी विधान सभा के लिये विदाई समारोह एक आवश्यक भाग होता है क्योंकि आज का यह वर्तमान कल का इतिहास होगा और हमारा प्रयास होना चाहिए कि इतिहास के पन्नों में तृतीय विधान सभा का कोई भी पृष्ठ अधूरा न रहे।

इस अवसर पर आप सभी माननीय सदस्यों के प्रति मैं अपनी सद्इच्छा, सद्भावना प्रकट करता हूं तथा कामना करता हूं कि आपका अपना राजनैतिक और सामाजिक जीवन के साथ-साथ आपका पारिवारिक जीवन भी सुखमय हो । आप सभी अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें । आपके राजनैतिक जीवन में भूमिका चाहे आपकी पक्ष में हो या अथवा प्रतिपक्ष में, पर उद्देश्य आपके ह्दय में जन सेवा का शास्वत रूप से बना रहे यही मेरी इस अवसर पर आप सभी के प्रति मंगल कामना है ।

अंत में इस पत्र के समापन अवसर पर मैं पुनश्च माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सदन के संचालन में मुझे सहयोग दिया । मैं माननीय उपाध्यक्ष जी एवं सदन के सभापति के दायित्व का निर्वहन करने के लिए और मुझे सहयोग देने के लिए मैं इस सदन की सभापति तालिका के सदस्यों के प्रति धन्यवाद प्रेषित करता हूं । मैं इस अवसर पर समस्त माननीय सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने तृतीय विधान सभा की इस अवधि में आसंदी की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए इस सदन की गरिमा बनाए रखी । समस्त माननीय सदस्यों के द्वारा आसंदी को दिए गए सहयोग के लिए भी मैं उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं ।

इस अवसर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने वाले मीडिया का भी उल्लेख करना चाहता हूं । छत्तीसगढ़ राज्य नवगठित राज्य था और सभा की कार्यवाही को जन-जन तक पहुंचाने की महती जिम्मेदारी मीडिया के प्रतिनिधियों के ऊपर थी । संसदीय विषयों से जुड़ी हुई प्रत्येक गतिविधि, सदन की चर्चाओं की हु-ब-हु जानकारी देने का गुरूत्तरदायित्व उन्होंने सफलता से निभाया ।

तृतीय विधान सभा के कार्यकाल में सम्पादित हुए पूर्व सत्रों को सफलतापूर्वक पूर्ण कराने के लिए राज्य शासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने दायित्वों का गंभीरता से परिपालन किया। इस अवसर पर मैं सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूं, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा । इस सत्र के समापन अवसर पर मैं अपने विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव एवं सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूं कि उनके समन्वित सहयोग से इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका ।

इस तृतीय विधान सभा के अंतिम सत्र के समापन अवसर पर मैं आप सभी से पुनः आह्वान करता हूं कि आईए, छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और समृद्धि के पावन अनुष्ठान में हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का समवेत रूप से दृढ़ संकल्प लें ।

अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, संसदीय कार्यमंत्री और सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

धन्यवाद!

जय हिन्द! जय भारत! जय छत्तीसगढ़!

डॉ.रमन सिंह-मुख्यमंत्री, श्री बृजमोहन अग्रवाल-संसदीय कार्य मंत्री एवं श्री नारायण चंदेल-माननीय उपाध्यक्ष ने भी इस अवसर पर अपने उद्‌गार व्यक्त किये।

15. निलंबन अवधि की समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि सभा के गर्भगृह में आकर नियमों के अंतर्गत स्वमेव निलंबित सदस्यों का निलंबन मैंने समाप्त कर दिया है।

16. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान **जन-गण-मन** की धुन बजाई गई।)

अपराह्न 1.25 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा